(प्रारूप)

Draft of State Agriculture Policy

राज्य कृषि नीति का प्रारूप

1. उद्देशिका :

राजस्थान राज्य कई प्रकार से अद्वितीय है। इसे न केवल इसकी शूरवीरता और प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थानों के लिए अपितु इसकी समृद्ध सांस्कृति,परम्पराओं और रूपरंग के साथ ही जैव विविधता, जिसमें वनस्पतियां और पशु समाविष्ट हैं, के लिए जाना जाता है। राजस्थान वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसमें देश के कुल भौगौलिक क्षेत्र का लगभग 10.4 प्रतिशत समाविष्ट है। इसकी लगभग 65 प्रतिशत (56.5मिलियन) जनसंख्या कृषि पर निर्भर है।

राज्य वर्तमान में 33 प्रशासनिक जिलों में विभाजित है तथा इसमें 10 कृषि जलवायु जोन हैं। राजस्थान में कृषि प्राथमिक रूप से वर्षा पर निर्भर है जिसमें देश में उपलब्ध भूमि का 13.27 प्रतिशत समाविष्ट है। भूजल का स्तर गिरता जा रहा है साथ ही प्रदूषित हो रहा है। सामान्यतः प्रत्येक तीसरा वर्ष सूखा वर्ष है। इनके वाबजूद भी,राज्य ने स्वतंत्रता के पश्चात् महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं तथा खाद्यान्नों, अनाज और दालों दोनों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। आज राजस्थान में तिलहनों का उत्पादन आवश्यकता से अधिक है। राज्य अपनी कृषि जैवविविधता में समृद्ध है और इसमें कुछ अद्वितीय औषधीय तथा सुगंधित पादपों के साथ बीजीय मसाले और दलहनी फसलें उपलब्ध हैं। मरूस्थलीय वृक्ष और झाड़ियां जैसे खेजड़ी,रोहिड़ा,फोग,केर,बेर आदि स्वदेशीय हैं। राज्य में फसलें और नस्लें विशेष हैं जो अधिकांश अनन्य या प्रधान रूप से राजस्थान की हैं। इनमें मोठ,ग्वार,धनिया,जीरा,मेथी,ईसबगोल,मेंहदी जैसी फसलें और राठी,थारपारकर,कंकरेज,गिर जैसी नस्लें तथा नागौरी पशु,मगरा और बीकानेरी चोकला भेड़ें,मारवाड़ी बकरियां और अन्य सम्मिलित हैं। फिर भी राजस्थान में कृषि की उपलब्ध संभाव्यता का पूंजीकरण करना आवश्यक है जो अभी तक अनिष्कर्षित रही है। इसलिए इस संदर्भ में राजस्थान में कृषि अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार अपेक्षित है।

2. परिदृश्य :

राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्र 342.65 लाख हेक्टर है जिसमें से 26.75 लाख हेक्टर वनों के अधीन है, 42.62 लाख हेक्टर खेती के लिए उपलब्ध नहीं है और (परती भूमि को छोड़कर) 63.19 लाख हेक्टर अन्य अकृषि भूमि है। कुल कृषि योग्य क्षेत्र लगभग 220.00 लाख हेक्टर है। कुल बुवाई क्षेत्र का संकोचन इस तथ्य से स्पष्ट है कि उच्चतम कुल बुवाई क्षेत्र वर्ष 1997—98 के दौरान लगभग 223.25 लाख हेक्टर था।

राज्य में औसत बरसात 575 मिमी है जिसमें से लगभग 532 मिमी वर्षा ऋतु अर्थात् जून से सितम्बर में होती है। पूर्वी राजस्थान में औसत बरसात लगभग 704 मिमी है और पश्चिमी राजस्थान में लगभग 310 मिमी है जो बड़ा अंतर प्रतिबिंबित करता है। राजस्थान में नदियां चंबल और माही नदियों को छोड़कर बारहमासी नहीं हैं।

औसत सतही जल देश के जल संसाधनों का केवल एक प्रतिशत है। राज्य में 118 मुख्य और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं। राज्य का कुल कृषि सिंचित क्षेत्र 36.46 लाख हेक्टर है।

राज्य में भूजल स्थिति बहुत खतरनाक है। स्थिति पिछले दो दशकों में बहुत तेजी से बिगड़ी है। राज्य के 249 ब्लाकों में से अधिकांश ''डार्क जोन '' में हैं तथा केवल 40 खण्ड ''सुरक्षित प्रवर्ग '' में हैं।

दसवीं योजना के अंत तक राज्य ने अपना अनाज उत्पादन 2.5 गुना से अधिक तथा तिलहन उत्पादन 3.5 गुना तक बढ़ा लिया है।

राज्य का रेपसीड और सरसों,धनिया,जीरा, मेथी,ग्वार और मोठ के उत्पादन के संबंध में इन सभी के राज्य के लिए अद्वितीय होने पर देश में पहला स्थान है। वर्तमान में राजस्थान राज्य का बाजरा (40प्रतिशत), मोठ बीन (85 प्रतिशत), रेपसीड और सरसों (51प्रतिशत), धनिया (66 प्रतिशत) और मेथी (87 प्रतिशत) जैसी फसलों के उत्पादन में मुख्य हिस्सा है। धनिया की खेती वर्तमान में तीन जिलों कोटा, बारां और जालोर में केन्द्रित है। जीरा जोधपुर, जालोर और बाड़मेर में केन्द्रित है। सौंफ की खेती मुख्य रूप से जोधपुर, नागौर, टोंक और सिरोही जिलों में की जाती है। अकेले सिरोही जिले का सौंफ के क्षेत्र में लगभग 40 प्रतिशत योगदान है। मेथी की खेती मुख्य रूप से सीकर, झालावाड़, नागौर और चित्तौड़ में की जाती है। फिर भी इन फसलों की उत्पादकता और उनसे लाभ बढाना किसानों की आजीविका में सुधार करने के लिए आवश्यक है।

राज्य में बुवाई सघनता 106 से 126 के बीच उतरती चढती रहती है जो उसमें बढ़ोतरी का और क्षेत्र उपदर्शित करती है।

थार मरूस्थल में शुष्क क्षेत्रों के बड़े भाग में आजीविका के संसाधनों के लिए गरीब किसान अधिकांशतः डेयरी फार्मिंग के साथ भेड़ और बकरियों जैसे लघु रोमंथकों पर निर्भर हैं। राज्य में पास चराई के लिए स्थायी चरागाहों के अधीन लगभग 17.07 लाख हेक्टर भूमि है और कुल पशुधन संख्या वर्तमान में 5.44 करोड़ है जो लगभग राज्य की जनसंख्या के बराबर है। चरागाह के अधीन का क्षेत्र वर्तमान पशुधन संख्या की कुल चारा आवश्कताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है।

3. चुनौतियां :

अल्प वर्षा, जल की कमी तथा अपर्याप्त जल प्रबंध पद्धतियां राज्य के लिए मुख्य चुनौती हैं। फसलें और पशु दोनों प्रकृति के अप्रत्याशित परिवर्तनोन्मुखी हैं। बारबार सूखे के कारण उत्पादकता गिरती है और संपादन घटता है और यहां तक कि पशुओं की मृत्यु हो जाती है। विश्वव्यापी उष्णता सहित जलवायु परिवर्तन ने राज्य में अजैविक दवाबो की विद्यमान समस्याओं को और बढा दिया है। शुष्क भूमि/शुष्क कृषि को प्रोन्नत करने के लिए व्यापक तकनीकी आधारित विकास के अभिगम का अभाव है। अन्य महत्वपूर्ण आसन्न कारक बिगड़ता मृदा स्वास्थ्य है जिसमें उर्वरकों का असंतुलित उपयोग,सूक्ष्म पोषक पदार्थ कमी,जैविक पदार्थ सार की कमी,अपर्याप्त सूक्ष्म वनस्पति और प्राणि आदि सम्मिलित हैं। मृदा का जैविक पदार्थ सार भी बहुत कम है।

वर्तमान में कृषि मुख्य रूप से कम उत्पादकता,अननुकूल कीमतों और व्यवहारतः बहुत कम मूल्य अभिवर्धन के कारण सापेक्ष रूप से अलाभकारी व्यवसाय हो गया है। अधिकांश मामलों में प्राथमिक मूल्य अभिवर्धन का भी अभाव है। व्यवहारतः कृषि के क्षेत्र में कोई व्यापार नहीं है। स्थिति कृषि के वैश्वीकरण की दृष्टि से और अतिशयोक्तिपूर्ण हो गयी है। कार्बन ट्रेडिंग एक नया क्षेत्र है जिससे राज्य को विशेष रूप से रेतीले टिब्बों के स्थिरीकरण के लिए और सरकार द्वारा हाथ में लिये गये कृषि–वानिकी के माध्यम से मरूस्थल को हराभरा करने के लिए व्यापक प्रयासों के संदर्भ में लाभ हो सकता है। निर्यात संवर्धन,स्वच्छता के प्रति अनुषक्ति और पादप–स्वच्छता मानकों और निर्यात अस्वीकृतियों को कम करने के लिए उपायों का अनेक बीजीय मसालों और औद्योगिक फसलों के मामले में अभाव है जिनके अन्य देशों को निर्यात की संभावना है। किसान बाजार से जुड़े हुए नहीं हैं। विक्रय अक्सर क्लेशकर हैं। ये सभी अलाभकारी प्रयासों की ओर ले जाते हैं और इस प्रकार प्रायः किसानों का खेती चालू रखने से मन फिर जाता है।

समग्र उत्पादकता प्रणाली को बढाने के अलावा कृषि की लागत समुचित रूप से कम करने की भी चुनौती है। विज्ञान आधारित संरक्षण कृषि की कमी है यद्यपि कुछ पुरानी परंपरागत पद्धतियां हैं जो संसाधनों का संरक्षण करती हैं। आधुनिक संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी साथ ही विकसित तथा क्षेत्रपरीक्षित स्वदेशी तकनीकी ज्ञान के संवर्धन की राज्य में आवश्कता है।

एकीकृत कृषि अभिगम का बुरी तरह से अभाव है। अनेक क्षेत्रों में अकेली फसलों की कृषि करना आजीविका की व्यवस्था नहीं कर सकता है। इसे, जहां कहीं साध्य हो,दुग्ध उत्पादन,शुष्क बागवानी,मत्स्यपालन, पशुधन इत्यादि से अनुपूरित किया जाना है। युवाओं को कृषि में बनाये रखने के लिए अनुपूरक आजीविका विकल्पों, जिनमें कृषि और ग्रामीण गैर फार्म उद्यमों में सेवाएं सम्मिलित हैं, का निरपवाद रूप से अभाव है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ उद्यमिता विकास प्रारंभ हो गया है फिर भी वह वांछित मापदण्ड के अनुसार नहीं है। इस समय समग्र फार्म समृद्धि सुनिश्चित करने की चुनौती है।

प्रायोगिक पैदावार और फार्म स्तर प्राप्त पैदावार के बीच भारी पैदावार अंतर है। फार्म मान्य आधुनिक प्रौद्योगिकियों और कृषि नवाचारों के उन्नयन का प्रायः अभाव है। कृषि में लिंग मुख्यधारा भी वांछित स्तर की नहीं है।

वनस्पति और पशु मूल दोनों के जननद्रव्य की उपलब्धता के वाबजूद भी ,जो राजस्थान में चरम स्थितियों में अपनाया जाता है, इन संसाधनों के संरक्षण,बढ़ोतरी, टिकाऊ रूप से उपयोग और उनसे फायदे के लिए पद्धतिबद्ध अभिगम की आवश्यकता है। बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है,ऐसा न हो कि हम अनुपम जीन के इस मूल्यवान स्रोत को खो दें। जीनोटाइप और युग्मजीविकल्पी खान जैसे विज्ञान के आधुनिक उपकरणों का इस अद्वितीय विविधता का संरक्षण करने के लिए सहारा नहीं लिया गया है। साधारणतः नैनोप्रौद्योगिकी,जैवप्रौद्योगिकी, दूर संवेदी,भौगोलिक सूचना प्रणाली आदि जैसी उभरती तकनीकियों और प्रौद्योगिकियों का प्रभावी रूप से प्रयोग नहीं किया गया है।

राज्य में फार्म समृद्धि के रास्ते में आने वाले महसूस किये गये अवरोधों पर काबू पाने के लिए उचित संस्थागत क्रियाविधि उपलब्ध करना और संगठनात्मक तथा प्रबंधीय सुधार का जिम्मा लेना भी चुनौती है।

4. संकल्पना, लक्ष्य और उद्‌देश्य :

राजस्थान की कृषि की भावी संकल्पना कृषि में तीव्र गति से फिर भी टिकाऊ विकास के माध्यम से जनता के लिए खाद्य तथा पोषणज सुरक्षा तथा आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने की होगी। लक्ष्य अनन्य विकास युक्ति के माध्यम से राज्य के व्यापक कृषि संसाधनों का दोहन करके खाद्य तथा पोषणज सुरक्षा, फार्म समृद्धि और भूमि संबंधी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का होगा। इसके लिए कृषि नीति अगले दस वर्षों में अर्थात् 2020 तक खाद्यान्नों का उत्पादन दुगुना करने और प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत कृषि विकास दर प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है।

नीति लघु अवधि और दीर्घावधि सापेक्ष अनुपातों से कृषि विकास में मुख्य बिन्दुओं पर ध्यान देकर विकल्पों और अवसरों का सुझाव देती है। नीति के अधीन उद्‌देश्य निम्नलिखित होंगे :–

सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य तथा पोषणज सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। सभी विशेष रूप से ग्रामीण जनता के लिए संतुलित आहार सुनिश्चित करने के लिए नीति ग्रामीण क्षेत्रों में फलों तथा सब्जियों का उत्पादन और उनके उपभोग को प्रोन्नत करेगी।

पशुधन संख्या की मांग की पूर्ति करने के लिए चारा सुरक्षा प्राप्त की जायेगी जो वाषिक रूप से 4 प्रतिशत तक बढ रही है और जिसके 2020 तक लगभग 8.68 करोड़ होने की प्रत्याशा की जाती है। यह चारा फसलें तथा चारा तथा भूसा दोनों भंडारण पद्धतियां प्रोन्नत

करके साथ ही शुष्क पश्चिमी राजस्थान में वन चरागाही पद्धति प्रोन्नत करके सुनिश्चित किया जायेगा।

विस्तार परिदान तथा आदान उपलब्धता के लिए विकसित प्रौद्योगिकियां, जिनमें लोक, प्राइवेट और सामुदायिक अभिगम अंतर्वलित हैं, अपनाने तथा उन्नयन के माध्यम से विद्यमान पैदावार अंतर को पाटना।

ऐसी जल प्रबंध प्रणालियां प्रोन्नत करना जो कम से कम 30 प्रतिशत तक जल बचायें तथा जल की प्रति इकाई उत्पादकता बढाना।

ऐसी नवीन प्रौद्योगिकियां अपना कर धूसर क्षेत्रों को हरा बनाना जिनमें वैज्ञानिक भू उपयोग योजना तथा एकीकृत कृषि प्रणाली का तरीका सम्मिलित है।

खेती की लागत कम करके फार्म आय बढाना,उत्पादकता,ग्रामीण आधारित कृषि प्रसंस्करण तथा मूल्य अभिवर्धन और किसानों के बाजार से जुड़ाव में वृद्धि करना।

कृषि की अतिआवश्यक विविधता प्रोन्नत करना जिसमें नकद तथा विशेष फसलें (जैसे बीज मसाले,ग्वार,मोठ बीन आदि) बागवानी,पशु पालन ,डेरी ,मधुमक्खी पालन,रेशम उत्पादन, कृषि वानिकी, अंतर्देशीय मत्स्यपालन का समामेलन समाविष्ट है। इस संदर्भ में,बाजार लिंक तथा पश्च–कटाई प्रबंध से सहबद्ध एकीकृत कृषि उत्पादन प्रणालियों के विनिर्दिष्ट विकास क्षेत्र को प्राथमिकता दी जायेगी।

दक्ष उत्पादन,मूल्य वर्धित वस्तुओं के प्रसंस्करण तथा निर्यात के माध्यम से उच्चतर आय सुनिश्चित करने के लिए विशेष फसलों के लिए वैयक्तिक,संयुक्त या संविदा खेती को प्रोत्साहन देना।

खेती में और खेती के बाहर अवसरों के माध्यम से विकसित ग्रामीण आजीविका और आय जनन के अनेक साधनों की मार्फत ग्रामीण लोगों के शहरी क्षेत्रों में मौसमी और स्थायी दोनों प्रकार के प्रवास को निरुत्साहित करना।

लोक और प्राइवेट दोनों के दीर्घावधि विनिधान के माध्यम से कृषि में पूंजी निर्माण को गति प्रदान करना जिसमें सड़कों,संचार,बुखारी,शीत श्रृंखला और कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योगों जैसी अवसंरचना का विकास सम्मिलित है। राज्य भविष्य में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों से पूरा फायदा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवायेगा।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच सुसमन्वित विधिक्रिया के माध्यम से विभिन्न विकास पहलों के साथ ही राज्य पशुधन नीति,राज्य जल नीति और राज्य कृषि औद्योगिक नीति के अधीन पहलों का संपूरण और संरेखण करना। नीति निदेशों,समन्वय तथा प्रबोधन के लिए मुंख्य मंत्री/मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बोर्ड प्राथमिकता के आधार पर बनाया जायेगा।

5. युक्ति :

5.1 विशेष रूप से शुष्कभूमि कृषि के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली अभिगम : चूंकि वर्षा पर निर्भर व्यापक क्षेत्र अधिकांश वर्षों में अकाल और फसल विफलता का सामना करता है। फसल उत्पादन का उद्यानिकी, पशुपालन,हाता मुर्गीपालन,कृषि वानिकी और चरागाह विकास के साथ एकीकरण राज्य में लघु तथा सीमांत किसानों की कृषि आय के जनन तथा आजीविका बनाये रखने के लिए प्रायः आवश्यक है। ऐसी कृषि प्रणाली न केवल खेती में संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होने देगी अपितु कृषक परिवार को नियमित आधार पर आय देने के अलावा भूमि अपक्षीणन और पर्यावरण प्रदूषण से बचने में भी सहायता करती है क्योंकि प्रणाली जल विभाजक प्रबंध के सिद्धान्तों और पद्धतियों पर आधारित होगी। शुष्क क्षेत्रों में भी जल के संयुक्त उपयोग के साथ प्रभावी जल एकत्रिकरण और प्रभावी संरक्षण की आवश्यकता है। इसलिए राज्य राज्य की व्यापक शुष्क और अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में शुष्क भू क्षेत्रों को हराभरा करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली के लागत प्रभावी और टिकाऊ मॉडलों को प्रोत्साहित करेगा।
शुष्क बागवानी राज्य में एकीकृत कृषि प्रणाली का एक महत्वपूर्ण संघटक है। शुष्क क्षेत्र बेर,अमरूद,आंवला किन्नू,माल्टा,बील,लसोडा,केर,सीताफल और खजूर जैसे शुष्क फलों और अन्य उपयोगाधीन फलों के उत्पादन के लिए विशेष स्थान प्रदान कर सकते हैं। वृक्षारोपण वन्य चरागाही प्रणालियां का उपयोग भी कार्बन ट्रेडिंग के लिए आदर्श रूप से किया जा सकता है। सभी वृक्षारोपणों में सूक्ष्म सिंचाई जैसी जल बचत पद्धतियों का अनुसरण आवश्यक रूप से किया जाना है। शुष्क क्षेत्रों में सब्जियों तथा फूलों की संरक्षित खेती भी किसानों के लिए लाभदायक साबित हो सकती है और बड़ी सीमा तक उनकी आय में वृद्धि कर सकती है। किसानों को आय में वृद्धि तथा बेहतर आजीविका के लिए एकीकृत कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रेरित किया जायेगा।

शुष्क बागवानी फसलों, सब्जियों, रेशम उत्पादन, औषधीय और सुगंधित पादपों, कृषि वानिकी, बीजीय मसालों तथा चारा फसलों जैसी मिश्रित/अंतर शस्य फसलों और फसलों की विविधता को राजस्थान के पश्चिमी भाग में प्रोत्साहित किया जायेगा। जैविक कृषि शुष्क पश्चिमी राजस्थान में बागवानी फसलों से आय जनन के लिए अन्य आयाम जोड़ सकती है। तथापि,यह जैविक उपज तथा उत्पादन के प्रमाणीकरण और विपणन के साथ अनन्य जैविक खेती पद्धतियों के बारे में किसानों को शिक्षित करके सुकर बनाया जायेगा। फलों तथा सब्जियों का पश्च–कटाई प्रबंध,कृषि प्रसंस्करण और मूल्य अभिवर्धन बागवानी तथा उच्च आय जनन के पूर्ण विकास की ओर ले जायेगा,इस प्रकार गरीब किसानों के संसाधनों में सहायता करेगा।

5.2 संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग : अपषणीकृत मृदा के उद्धार,मृदा संरक्षण,मृदा परीक्षण,मृदा उर्वरकता मापन,फसल अवशिष्ट प्रबंध,जैविक फार्मिंग तथा सर्वोत्तम भू उपयोग में अभिवृद्धि करने को बढावा दिये जाने की आवश्कता है। राज्य में उपलब्ध व्यापक भू

संसाधनों के लाभदायक उपयोग के लिए भू उपयोग योजना तथा सुदृढ प्रबंध विकल्पों के लिए दूर संवेदी तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली के आधुनिक उपकरण लगाये जायेंगे।

राजस्थान में जल की प्रत्येक बूंद से अधिक फसल तथा आय का रास्ता अपनाने के सिवाय कोई अन्य सहारा नहीं है। सूक्ष्म सिंचाई एकमात्र विकल्प है और इसलिए उसका कम प्रवहण हानियों के साथ सिंचित/नहरी क्षेत्रों में जल बजट के साथ लोकप्रिय किया जायेगा। फार्म बंधों, खोदे गये फार्म तालाबों,नाडियों,पोलीथीन लाइन वाले जल तालाबों का निर्माण करके वर्षा जल एकत्रिकरण पर भी मुख्य बल दिया जायेगा। जल क्षेत्र में प्राइवेट और सामुदायिक पहल को भी प्रोत्साहित किया जायेगा। जल के जन उपयोग के लिए बहुप्राथमिकता विश्लेषण, विनिश्चयकारी प्राथमिकता और विकासशील मार्गदर्शक सिद्धान्त अपनाये जायेंगे। विनायमक पहलुओं की समीक्षा की जायेगी तथा विद्यमान विधिक्रियाओं को एकल राज्य जल विधि में वांछनीय रूप से समामेलित किया जायेगा।

खजूर जैसी वृक्षारोपण फसलों तथा अन्य वृक्षों और ऐसी फसलों,जो लवणता को सह सकें,के लिए खारे और लवणीय जल के उपयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा। इसी प्रकार उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग सिंचाई प्रयोजनों विशेष रूप से अखाद्य फसलों जैसे कपास, बरसीम,रिजका आदि जैसे चारे के लिए किया जायेगा।

5.3 गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता का बढाया जाना : प्रजनक, आधार और प्रमाणित बीजों का उत्पादन और उनकी उपलब्धता उन नवीन उच्च उपज वाली किस्मों/संकर पर विशेष बल के साथ बढाये जाने की आवश्यकता है जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती है तथा प्रकृति से कम अवधि में पक जाते हैं। बीज प्रतिस्थापन दर को विशेष रूप से दालों और तिलहनों के मामले में बढाया जाना होगा। बीज गॉव अवधारणा को प्रोत्साहित किया जायेगा। राज्य में गुणवत्ता युक्त विशेष रूप से संकर बीजों की समय पर उपलब्धता बढाने के लिए प्राइवेट बीज सेक्टर को प्रोत्साहन तथा उनके साथ सहभागिता को प्रोत्साहित किया जायेगा। प्रत्येक पांच वर्षो हेतु एक चक्रीय योजना क्रियान्वयन के लिए तैयार की तथा प्रबोधित की जायेगी। मछली बीज तथा प्रमाणित सांडों के वीर्य की उपलब्धता में भी वृद्धि की जायेगी।

5.4 पोषक तत्व प्रबंध : एकीकृत पोषण प्रबंध पद्धतियां विशेष रूप से सूक्ष्म तत्वों की कमी पर ध्यान देने के लिए प्रोन्नत की जायेंगी। जैव उर्वरकों का प्रयोग प्रारंभ में 10 प्रतिशत का लक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए साथ साथ प्रोन्नत किया जायेगा। केंचुआ खाद तथा फार्म अवशिष्टों के पुनःचक्रीकरण का प्रचार किया जायेगा। उर्वरक उपयोग की दक्षता विकसित करने के लिए दक्ष उर्वरक पद्धतियों पर अभिवर्धित स्थान विशेष अनुसंधान (जैसे पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग, सही समय तथा उर्वरकों के प्रतिस्थापन और जब कभी आवश्यक हो, पोषक तत्वों का उपयोग, जैव उर्वरक तथा मृदा संशोधन) को प्रोन्नत किया जायेगा। विनिर्दिष्ट फसलों विशेष रूप से सब्जियों के लिए उर्वरक मिश्रणों तथा द्रव उर्वरकों के लिए नीतियों को ठीक किया जायेगा। प्रत्येक किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जायेगा।

5.5 एकीकृत नाशी जीव प्रबंध :रसायन पर्यावरणीय खतरा तथा मृदा और उपज दोनों को प्रदूषण कारित करते हैं। इसलिए एकीकृत नाशी जीव प्रबंध पद्धतियों तथा जैव एजेण्टों/जैव कीटनाशकों का उपयोग किसानों के भागीदारी अभिगम को अंतर्वलित करते हुए नाशी जीव तथा बीमारियों पर नियंत्रण करने के लिए किया जायेगा। फसल उपज में जैव रसायनों का अवशिष्ट न्यून किया जायेगा। राज्य में आवश्यक रेफरल प्रयोगशालाएं स्थापित की जायेंगी। एकीकृत नाशी जीव प्रबंध पर अधिक बल देकर 2020 तक कीटनाशकों का उपयोग घटाकर आधा किया जायेगा।

5.6 कृषि यान्त्रिकरण : बीज एवं उर्वरक ड्रिल,जीरो टिल ड्रिल,लेजर लेवलर तथा अनेक फार्म उपकरणों और औजारों का लघु और सीमांत किसानों के लिए बैलों द्वारा खींचे जाने वाले उपकरणों के साथ प्रचार किये जाने की आवश्यकता है। बीज ड्रेसर,स्प्रेयर, वीडिंग उपकरण तथा अन्य कड़ी मेहनत घटाने वाले उपकरणों को लोकप्रिय किया जायेगा। कस्टम हायरिंग प्रणाली को कृषि क्लिनिकों की अवधारणा का उपयोग करके प्रोन्नत किया जाकर उसका प्रचार किया जायेगा। इसके लिए ग्रामीण युवकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा आवश्यक प्रोत्साहन दिये जायेंगे।

5.7 चारा उत्पादन : राजस्थान में विविध पशुधन उत्पादन कृषि प्रणाली का अभिन्न अंग है। विशेष रूप से अकाल वर्षों में चारा मांग और आपूर्ति का निर्धारण करने की विनिर्दिष्ट आवश्यकता है। चारा परिरक्षण तथा भण्डारण के वैज्ञानिक तरीके और ग्रामीण क्षेत्रों में चारा बैंक इस दिशा में सही कदम होगा। राज्य पशुधन नीति के अनुसार हरा चारा उत्पादन के लिए प्रयासों को संपूरित किये जाने की आवश्यकता है अर्थात् चारा उत्पादन, चारा बीजों की उपलब्धता,साइलेज बनाना,वन्य चरागाह प्रोन्नत करना तथा चारा फसलें उगाने के लिए किसानों को प्रेरित करने के लिए विस्तारी प्रयास।

5.8 उर्वरक,कीटनाशी तथा बीजों जैसे आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना : कृषि सेवाओं में प्राइवेट मध्यक्षेप को प्रोन्नत किया जायेगा। बेरोजगार कृषि विद्यालय उत्तीर्ण एवं स्नातकों को प्रशिक्षित किया जायेगा तथा कृषि सेवा केन्द्र/कृषि क्लिनिक आदि कृषि सेवा प्रारंभ करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन/वित्तीय समर्थन देकर कस्टम हायर सेवाओं तथा आदान परिदान प्रणाली के प्रति आकर्षित किया जायेगा। गुणवत्ता नियंत्रण क्रियाविधि मजबूत,प्रभावी रूप से प्रशासित तथा प्रबोधित की जायेगी। दोषियों को दंडित करने के उपायों को कड़ाई से लागू किया जायेगा।

5.9 अवसंरचना सुविधाएं: विशेष रूप से विपणन,शीत श्रृंखला(जिसमें आधुनिक साइलो सम्मिलित हैं) ग्रामीण आधारित कृषि प्रसंस्करण और निर्यात की सुविधाओं से संबंधित आवश्यक अवसंरचना सुविधाएं सरकारी तथा प्राइवेट क्षेत्र की पहल के माध्यम से सृजित की जायेंगी।

5.10 कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए समर्थन : राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को पर्याप्त और सक्षम संकाय रखने के लिए उनके संसाधन आवंटनों को पर्याप्त रूप से दुगुना करके पर्याप्त समर्थन दिया जायेगा जो कि प्रशिक्षित जनशक्ति का निर्माण करने,आवश्यकता आधारित प्रौद्योगिकियों के जनन और उनके उन्नयन की पूर्वापेक्षा है। जैव और अजैव बलाघातों के विरुद्ध अपेक्षित सेंध/आनुवंशिक सुधार के लिए परिष्कृत कृषि, जैविक कृषि तथा जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को भावी अनुसंधान में अति प्राथमिकता दी जायेगी। मुख्य अनुसंधान बल उन फसलों पर होगा जो राज्य के लिए अद्वितीय हैं। रोजगारोन्मुखी स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यक्रमों,डिप्लोमा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से दक्षता निर्माण प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों को इस कृषि नीति में प्राथमिकता दी जायेगी।

5.11 वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत : कृषि में नवीकरणीय ऊर्जा (मुख्य रूप से सौर तथा वायु) का उपयोग तथा समुचित,लागत प्रभावी और दक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बंजर भूमि पर ऊर्जा देने वाले पौधों का रोपण को प्रोत्साहन इस नीति के अधीन प्राथमिकता क्षेत्र होगा। एकीकृत अभिगम के माध्यम से पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा जायेगा तथा प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त किया जायेगा।

5.12 विस्तारी समर्थन तथा दक्षता विकास : विद्यमान विस्तारी प्रणाली के पुनरुज्जीवन को इस नीति के अधीन उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। लोक विस्तारी प्रणाली के कार्य को परिपूर्ण करने हेतु प्राइवेट क्षेत्र को विस्तार सेवाओं के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। मीडिया तथा अन्य संचार साधन जैसे– संचार प्रौद्योगिकी,मोबाइल आदि का उपयोग अच्छी कृषि पद्धतियों को प्रोन्नत करने के लिए व्यापक रूप से किया जायेगा। लोक प्राइवेट भागीदारी के माध्यम से कृषि को समर्पित चैनल भी प्रारंभ किया जायेगा जिससे राजस्थान में किसानों के लिए ज्ञान की बेहतर पहुंच सुनिश्चित की जा सके। कृषक परिवारों के ज्ञान सशक्तीकरण के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कियोस्क खोले जायेंगे। स्वदेशी परंपरागत ज्ञान के दस्तावेजीकरण पर भी ध्यान केन्द्रित किया जायेगा, जो राजस्थान में बहुत समृद्ध है।

5.13 किसानों की आजीविका में सुधार करना : फसल पशुधन एकीकृत कृषि प्रणाली, कृषि प्रसंस्करण और मूल्य अभिवर्धन के माध्यम से बेहतर आजीविका के सृजन को प्रोन्नत किया जायेगा। भूमिहिन श्रमिकों तथा संसाधन विहीन किसानों का मजबूज अनुगामी समर्थन के साथ कुशलतोन्मुखी प्रशिक्षण के माध्यम से खेत के बाहर रोजगार के सृजन हेतु कुशल कर्मगारों में रूपान्तरण करना मूल सिद्धान्त होगा। बेहतर आजीविका के लिए लघु जोत धारकों का समर्थन करने के लिए लघु वित्तपोषण/कम ब्याज दर (4 प्रतिशत) के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जायेगा। कृषि में युवाओं को बनाये रखने के लिए ग्रामीण गैर कृषि उद्यमों पर बल दिया जायेगा।

5.14 उधार समर्थन : राज्य में सभी लघु जोत धारक किसानों के लिए कम ब्याज (लगभग 3–4 प्रतिशत) दर पर उधार सुनिश्चित किया जायेगा।

5.15 लिंग मुख्यधारा : इस नीति में कृषि में महिला सशक्तीकरण पर मुख्य बल दिया जायेगा। कृषि क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण के लिए विशेष कार्यक्रम, विशेष रूप से मातृक और बाल स्वास्थ्य देखरेख,कड़ी मेहनत पर नियंत्रण रखने और उन्हें अपेक्षित प्रोत्साहनों से सहबद्ध शिक्षा/प्रशिक्षण/कुशलता प्रदान करने का लक्ष्य रखते हुए प्रारंभ किये जायेंगे। निर्णय करने में उनकी प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए समुचित नीतियां भी बनाई जायेगी।

5.16 आवश्यक विविधिकरण के लिए कृषि में पूंजी निर्माण तथा विनिधान : इस नीति की युक्ति कृषि के विविधिकरण के प्रति मुख्य प्रयास करती है। किन्तु विविधिकरण को न केवल अकेले फसलों के निबंधनों के अनुसार संकीर्णता से देखा जाना है अपितु वह फसलों,बागवानी,पशुधन, मत्स्यपालन और इनसे संबंधित द्वितीयक कृषि वाली संमिश्रित कृषि को सम्मिलित करती है। किसानों तथा ग्रामीण लोगों को आय बढाने तथा बेहतर आजीविका के लिए सभी सापेक्ष साधनों और पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जायेगा तथा समर्थ बनाया जायेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए कृषि में विनिधान के पेटर्न में न केवल अभिवृद्धि की आवश्यकता है अपितु पुनःनिर्माण करना भी है। लोक तथा प्राइवेट दोनों क्षेत्रों के माध्यम से कृषि में पूंजी निर्माण में सुधार करने के लिए कदम उठाये जायेंगे। उदाहणार्थ परंपरागत तरीके से खेती करने से बागवानी पर जाने से शीत श्रृखला में, जिसमें शीत भंडारण, भाण्डागार, प्रसंस्करण इकाइयां, तथा ग्रामीण सड़कें, विद्युत,संचार आदि की व्यवस्था जैसी सामान्य सुविधाओं के साथ–साथ विपणन नेटवर्क सम्मिलित है, अधिक विनिधान अपेक्षित होगा। साथ ही नयी अधुनातन प्रौद्योगिकियों जैसे जैव प्रोद्योगिकी, परिष्कृत कृषि, नैनो प्रौद्योगिकी आदि तथा नवाचारों का उन्नयन, के उपयोग के माध्यम से कृषि को पुनरुज्जीवित करने के प्रयास करने होंगे। इसमें कृषि में विकास के लिए अनुसंधान पर विनिधान में सारवान् रूप से बढ़ोतरी करना अपेक्षित होगा। त्वरित विकास सुनिश्चित करने के लिए कृषि में पूंजी विनिधान अगले पांच वर्ष में दुगुना किया जायेगा।

5.17 संगठनात्मक और प्रबंधकीय सुधार :. परिवर्तन कठिन है किन्तु हमें परिवर्तन करना होगा। संगठनात्मक तथा प्रबंध सुधार विनिश्चित और लागू करना कठिन है किन्तु वे बड़ा प्रभाव लाते हैं। उदाहरणार्थ बाजार सुधारों की बड़ी आवश्यकता है किन्तु बहुत थोड़ा किया और क्रियान्वित किया जा रहा है। किसानों को बाजारों से जोड़ा जाना है। वस्तुओं की कीमत विनिश्चित करने में उनकी भूमिका निर्धारित करने की आवश्यकता है तथा उन्हें ऐसा करने के लिए सहकारिता,स्वसहायता समूह तथा सिविल सोसाइटियों के माध्यम से समर्थ बनाया जाना है। सरकार में निर्णय लेने की प्रक्रिया का हस्तान्तरण किया जाना है। अनेक शक्तियां सरकारी संरचना के निचले पायदान को प्रत्यायोजित की जा सकती हैं। प्राथमिकता निर्धारण, प्रबोधन तथा मूल्यांकन प्रकोष्ठ स्थापित किये जाने होंगे और जहां कहीं पहले से स्थापित हैं उन्हें बेहतर संपादन के लिए पुनःदेखा और सशक्त किया जा सकता है। परिणाम और प्रभाव निर्धारण भी किये जाने की आवश्यकता है।

नये प्रोत्साहनों का प्रारंभ, अनुभव की गयी आश्यकता पर आधारित किया जा सकता है तथा हिस्सेदारों अधिकांशतः किसानों को अंतर्वलित किया जा सकता है। यह वैयक्तिक बोध की बजाय उचित कार्य प्रणाली तथा मूल्यांकनों के माध्यम से अतिसावधानी से किया जाना चाहिए।

विस्तार की दशा में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेंसी तथा कृषि विज्ञान केन्द्र अब से साथ–साथ कार्य करेंगे। विस्तार प्रयोजन के लिए विशेष सुप्रशिक्षित संवर्ग होना चाहिए। प्राइवेट विस्तार को भी प्रोत्साहन की आवश्यकता है। संस्थागत आदेश और संरचनाओं के अनुलिपिकरण या अतिव्याप्ति से बचने की आवश्यकता है। संपूरक तथा संयुक्त ग्राहक फोकस की कमी पर ध्यान देना होगा।

शासन सहित सभी उद्यमों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बढते उपयोग की आवश्यकता है। किंचित संस्थागत सुधार पब्लिक सेक्टर कृषि सुधार या विस्तार में हुआ है जो कृषि नवाचारों के लिए परिवर्तित मांग का प्रभावी रूप से प्रबंध करने में उसे अनुज्ञात करता है। संरचनाऐं तथा क्रियाविधियां जैसे राजस्थान कृषि अनुसंधान एवं शिखा परिषद्, दलहन विकास बोर्ड, अजैव बलाघात एवं मौसम परिवर्तन प्रबन्ध केन्द्र, विशेष अधिनियम के तहत बीज सहकारी संस्थाऐं, नर्सरी अधिनियम एवं इनसे सम्बन्धित अधीनस्थ विधानों आदि को उचिव एवं जब आवश्यक हो ध्यान में रखने की आवश्यकता है। कृषि के विभिन्न घटकों और संबंधित क्षेत्रों के बीच संपूरकता रखने के लिए एक समन्वयकारी क्रियाविधि आवश्यक है।

6. कियान्वयन के लिए विस्तृत योजना :

6.1 खाद्य और पोषण सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना :

बढती मांग को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों, सब्जियों और फलों के उत्पादन में त्वरित विकास। वृद्धि गरीबी रेखा से नीचे वालों की ऊर्जा अपेक्षाओं को समर्थन दरों पर पूरा करने के लिए मोटे अनाजों के मामले में अधिक होगी।

बागवानी उत्पादों, पशु उत्पादों और अन्य खाद्य घटकों का उत्पादन विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं और मांग के अनुरूप बढाना।

उत्पादनों की कीमत युक्तियुक्त स्तर पर रखने के लिए सभी खाद्य वस्तुओं की उत्पादकता में अभिवृद्धि करना। इससे कृषि में उन्नत प्रौद्योगिकियां तथा वृद्धिशील विनिधान अपेक्षित होगा। खाद्य वस्तुओं की पोषक समृद्ध किस्मों का उत्पादन करने में अनुसंधान पर अधिक बल दिया जायेगा। आम जनता विशेष रूप से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों की क्रय शक्ति का बढाया जाना।

पश्च–कटाई प्रबंध और खाद्य वस्तुओं के विपणन में सुधार करना।

6.2 भू–संसाधनो का प्रबन्ध :

भूमि सुधार और वैज्ञानिक भू उपयोग योजना,उधार सहित जल और अन्य आदानों के विषयों को देखने के लिए एक उच्च स्तरीय नीति एवं समन्वय समिति गठित की जायेगी। कृषि मंत्री की अध्यक्षता में इस समिति के सदस्य कृषि विश्वविद्यालय,पशुपालन, कृषि,जल संसाधन,ऊर्जा और राजस्व विभागों के प्रतिनिधि होंगे।

भूमि के उपयोग का निरूपण शुष्क,अर्द्ध शुष्क तथा आश्वस्त सिंचित क्षेत्रों के आधार पर किया जाना है। भूमि का आबंटन भूमि समर्थता,उत्पादकता और उत्पादन लक्ष्यों के आधार पर भिन्न–भिन्न उपयोगों के लिए किया जाना है। भौगोलिक सूचना प्रणाली तथा भू उपयोग योजना को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी ताकि इन्दिरा गांधी नहर सिंचित क्षेत्रों समेत राज्य की शुष्क भूमि की कुछ अवैज्ञानिक फसल प्रणालियों के लिए आवश्यक पुनःअभिविन्यास सुनिश्चित किया जा सके।

भूमि की उपयुक्तता के आधार पर खाद्य फसलों,अनाजों,अधिक मूल्य वाली फसलों,सुगंधित तथा औषधीय वनस्पतियों आदि के लिए फसल पद्धति तथा मिश्रित कृषि की योजना बनायी जायेगी। चारा भूमि का अपक्षीणन रोकने के लिए पशु/पशुधन द्वारा चक्रीय चराई तथा स्टाल फीडिंग को प्रोन्नत किया जायेगा।

एकीकृत कृषि प्रणाली तथा उच्चतर उत्पादकता/संपोषणता के लिए जिला और पंचायत स्तरीय मृदा स्वास्थ्य नक्शे (जिसमें लवणीयता/क्षारीयता, सूक्ष्म पोषक तत्व आदि सम्मिलित हैं) तैयार किये जायेंगे। मृदा स्वास्थ्य सुधारने के लिए व्यापक प्रयास किये जायेंगे। सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जिंक,सल्फर,आयरन आदि की कमी वाले क्षेत्रों को पोषक तत्वों के असंतुलन को दूर करने के लिए चिह्नित किया जायेगा। भूमि सुधार व तिलहनों तथा दालों दोनों के लिए मूल पोषक तत्वों के लिए जिप्सम के उपयोग को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। इसके लिए प्रति वर्ष 1.00 लाख मिट्रिक टन जिप्सम किसानों में अनुदानित दरों पर वितरित करने का लक्ष्य रखा जायेगा। मृदा के 10.0 लाख से अधिक नमूनों की प्रति वर्ष जांच की जायेगी तथा किसानों को उनकी मृदा परीक्षण सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों का उपयोग करने की सलाह दी जायेगी। बागवानी फसलों पर विशेष बल देते हुए जैविक खेती को प्रोन्नत किया जायेगा। निर्यात संवर्धन हेतु जैविक बीजीय मसालों व औषधीय फसलों की खेती पर मुख्य बल दिया जायेगा। क्षेत्र में किसानों की बाजार पहुंच व आय में सुधार करने के लिए संविदा खेती को भी प्रोन्नत किया जायेगा।

6.3 शुष्क भूमि कृषि सहित जल प्रबंध :

नीति जल के सभी स्रोतों अर्थात् सतही जल,भूजल और वर्षा जल के दक्ष प्रबंध के लिए प्रयास करेगी। वह जल बचत युक्तियों जैसे ड्रिप,स्प्रिंकलर, स्व–स्थान वर्षा जल संरक्षण तथा जल की प्रत्येक बूंद के दक्ष तथा सर्वोत्तम उपयोग के लिए अन्य फार्म पद्धतियों को प्रोन्नत करेगी।

कृषि नीति राज्य जल संसाधन योजना विभाग द्वारा तैयार की गयी राजस्थान राज्य जल नीति (2010) में दी गयी सिफारिशों पर विचार करेगी तथा उससे सामंजस्य स्थापित करेगी जो जल के दक्ष उपयोग तथा सतही,भू तथा वर्षा जल के सर्वोत्तम उपयोग को केन्द्र बिन्दु रखकर एकीकृत जल संसाधन प्रबंध,जल संसाधन अवसंरचना,जल गुणवत्ता,सूक्ष्म सिंचाई,दक्षता निर्माण और सिंचित कृषि में उपयोग के लिए सुसंगत अनुसंधान से सापेक्ष विषयों पर ध्यान देती है।

वर्षा जल को एकत्र करने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। वर्षा जल का उपयोग बढाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जायेगा। जल संग्रहण संरचना तथा यथोचित जल प्रवहण प्रणाली प्रोन्नत करने पर बल दिया जायेगा। नहर सिंचित क्षेत्रों में जलाशयों या डिग्गियों के निर्माण को स्प्रिंकलर तथा ड्रिप लगाकर समर्थन दिया जायेगा। बड़ी संख्या में डिग्गियों तथा खेत तलाई के निर्माण का समयबद्ध रीति से निर्मित किये जाने का लक्ष्य रखा जायेगा जहां कहीं साध्य हो, इन जल संग्रहण तथा भंडारण संरचनाओं में तकनीकी जानकारी तथा मछली बीज देकर मत्स्यपालन को प्रोन्नत किया जायेगा। राज्य जल नीति की संपूरकता के लिए सूक्ष्म सिंचाई जैसे को प्रोन्नत करने का प्रयास किया जायेगा। ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई के अधीन लगभग 5 मिलियन कुओं तथा नहर सिंचित क्षेत्रों को समाविष्ट किये जाने का प्रस्ताव किया जाता है। जल प्रवहण हानियों को कम करने के लिए पाइप से जल प्रवहण को प्रोन्नत किया जायेगा। जल बचत तथा जल के दक्ष उपयोग के लिए किसानों में जागरूकता निर्माण तथा शिक्षा को,जिसमें सतही तथा भू जल का संयुक्त उपयोग सम्मिलित है, प्रोन्नत किया जायेगा।

सम्बन्धित संस्थाओं/एजेन्सियों के समन्वय से असामान्य मौसम परिस्थितियों हेतु विशेष रूप से शुष्क खेती को उचित फसल योजना/फसल प्रतिस्थापन के माध्यम से दक्ष फसलोत्पादन व कृषि प्रणाली, दक्ष कृषि उपकरणों व वैकल्पिक भूमि उपयोग प्रणाली अर्थात कृषि वानिकी, चरागाह विकास, वन्य चरागाह, कृषि बागवानी को हाथ में लिया जायेगा।

वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में सभी कृषि विकास केवल जल विभाजक आधार पर नियोजित और क्रियान्वित किये जायेंगे। सभी योजनाएं पृथक्–पृथक् कृषि जलवायु क्षेत्र आधार पर तैयार की जायेंगी। वर्षा निर्भर कृषि के लिए सूखा प्रबंध,जिसमें आकस्मिक फसल युक्ति सम्मिलित है तथा बीज बैंक पर सम्यक् बल दिया जायेगा।

जल गुणवत्ता तथा अति दोहन/निकासी के कारण कुछ क्षेत्रों में गिरते भू जल स्तर पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जायेगा। भागीदारी सामुदायिक सिंचाई का जल उपयोक्ता संघों और उनके सशक्तिकरण के माध्यम से प्रचार किया जायेगा तथा उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।

किसी भी प्रयोजन के लिए सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना भूजल दोहन को प्रतिषिद्ध करने के लिए विधान उन क्षत्रों के लिए लाया जायेगा जो खतरनाक जल स्तर तक पहुंच गये हैं।

अच्छी कृषि पद्धतियों जैसे सूक्ष्म कृषि,जल विभाजक प्रबंध,संरक्षण कृषि,प्रमाणित बीजों का उपयोग आदि का प्रचार करने के लिए प्रोत्साहन दिये जायेंगे तथा अवांछित पद्धतियों जैसे अधिक पानी चाहने वाली फसलें उगाने, प्रवाह के माध्यम से सिंचाई आदि को हतोत्साहित करने हेतु अवप्रेणन रखे जायेंगे। किसानों को स्प्रिंकलर,ड्रिप प्रणाली तथा विद्युत मोटर/डीजल पम्प सैट पर सीधे ही 75 प्रतिशत की सीमा तक सहायता सुनिश्चित की जायेगी।

सिंचाई जल के लिए जल गुणवत्ता नक्शे तैयार किये जायेंगे तथा उनके दक्ष उपयोग के लिए सिफारिशें की जायेंगी।

6.4 गुणवत्ता युक्त बीजों तथा रोपण सामग्री की उपलब्धता में अभिवृद्धि किया जाना :

उच्च पैदावार/उन्नत किस्मों व संकर जो रोग प्रतिरोधी हो तथा अल्प अवधि में पकते हों के गुणवत्ता युक्त बीजों के उत्पादन को प्राथमिकता दी जायेगी।

राज्य में प्राइवेट सेक्टर द्वारा बीज उत्पादन तथा रोपण सामग्री के प्रदाय को प्रोन्नत किया जायेगा।

अनाजों, तिलहनों, दालों तथा राज्य के विभिन्न जलवायुवीय खण्डों की आवश्यकता के अनुरूप यथोचित अन्य मुख्य फसलों की किस्में/ संकर विकसित करने के लिए पौध प्रजनकों को प्रोत्साहन दिये जायेंगे।

बीज प्रतिस्थापन दर सर्वोत्तम स्तर तक प्राप्त करने के लिए अधिक बल दिया जायेगा। खरीफ फसलों की बीज प्रतिस्थापन दर के लिए, जो वर्तमान में 27 प्रतिशत है तथा रबी फसलों की 33 प्रतिशत है, बीज प्रतिस्थापन दर को अगले 10 वर्ष तक दुगुना अर्थात् खरीफ में लगभग 50 प्रतिशत तथा रबी फसलों में 70 प्रतिशत करने के लिए प्रयास किये जायेंगे। सभी फसलों के लिए लक्षित बीज प्रतिस्थापन दर लगभग 100 प्रतिशत रखनी है।

किसान भागीदारी आधारित बीज उत्पादन को प्रोन्नत किया जायेगा। किसानों की बीज सहकारी संस्थाएं प्रोत्साहित की जायेंगी।

राज्य में बाजरा, मक्का तथा कपास के संकर बीज उत्पादन को प्रोत्साहित किया जायेगा और राज्य की विनिर्दिष्ट फसलों तथा बीजों के विकास के लिए अनुसंधान समर्थन दिया जायेगा।

किसानों को पर्याप्त मात्रा में मछली बीज उपलब्ध कराया जायेगा और मत्स्य पालन के लिए प्रोत्साहन दिये जायेंगे।

प्राइवेट संगठनों को सम्मिलित करके आनुवांशिक रूप से अच्छी किस्म के बकरों,मेढ़ों, सांडों तथा भैंसाओं के लिए विशेज्ञीय फार्म स्थापित किये जायेंगे।

6.5 बीमा के लिए समर्थन :

मानसून की विफलता या अन्य प्राकृतिक विपित्तियों के कारण फसलों तथा पशुधन हानियों के विरुद्ध किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और/या मौसम आधारित बीमा को सभी फसलों तथा विशेष रूप से दुधारू पशुओं तथा अन्य पशुधन के लिए प्रोन्नत किया जायेगा। प्राकृतिक विपित्तियों के विरुद्ध हानि के लिए प्रतिकर देने की युक्ति ब्लाक के बजाय गांव को न्यूनतम इकाई मानकर प्रकल्पित की जायेगी।

6.6 एकीकृत पोषक तत्व प्रबंध :

मृदा स्वास्थ्य कार्डों/मृदा स्वास्थ्य ग्राम कार्डों के आधार पर फसल उत्पादन बढाने के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। सभी 58.20 लाख भू जोतों को कवर करने का तथा सभी किसानों को 2015 तक मृदा स्वास्थ्य कार्ड देने का प्रस्ताव है।

कृषकों को जैविक/जैव–उर्वरकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जायेगा। इसके लिए राज्य जैविक पुनःचक्रीकरण तथा जैव–उर्वरकों के उपयोग का सघन अभियान चलायेगा। प्राइवेट सेक्टर तथा नये उद्यमियों की सेवाएं इस प्रयोजन के लिए सुनिश्चित की जायेंगी तथा आवश्यक प्रोत्साहन दिये जायेंगे।

किसानों को मृदा की भौतिक तथा पोषक प्रास्थिति में सुधार करने के लिए दलहनी फसलों को अंतर्वलित करते हुए फसल अवशिष्टों/जैविक पदार्थों,हरी खाद,फसल चक्रानुक्रम के उपयोग के लिए प्रेरित किया जायेगा। उर्वरक उपयोग दक्षता सुधार की ओर पूरी शक्ति से प्रयास किये जायेंगे।

6.7 जैविक खेती का प्रोन्नत किया जाना :

फसलों,बूटियों और बागवानी फसलों,पशुधन, जो जैविक खाद्य तथा सहबद्ध उत्पादों में अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से वर्षा निर्भर क्षेत्रों से जुटाये जा सकते हैं,की सूची तैयार की जायेगी तथा उनकी जैविक खेती को प्रोन्नत करने के लिए युक्ति प्रकल्पित की जायेगी।

कृषि, कटाई, श्रेणीकरण तथा मानकीकरण, जैविक उत्पादों के उनके मूल्य अभिवर्धन सहित, प्रमाणन और विपणन के संबंध में किसानों में जागरूकता तथा दक्षता निर्माण सृजित करने के लिए प्रयास किये जायेंगे।

जैविक खेती में लगे हुए वर्षा निर्भर किसानों के लिए अनुदानित आदान,बाजार सूचना,जैविक उत्पादों का प्रमाणन आदि समुचित नीति विकसित करना।

6.8 एकीकृत नाशीजीव प्रबंध और उत्तम कृषि पद्धतियां :

प्रत्येक जोन में नाशीजीवों,बीमारियों तथा खरपतवार के व्यवहार और उद्‌गमन के अध्ययन के लिए एकीकृत नाशीजीव प्रबंध केन्द्र सृजित किये जायेंगे।

नाशीजीवों,बीमारियों तथा खरपतवार का प्रबंध सहायताप्राप्त कृषि रसायनों विशेष रूप से जैविक एजेण्टों के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य नीति जैव एजेण्टों/जैव कीटनाशकों के उपयोग के लिए किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न फसलों के नाशीजीव प्रबंध पर मौसमानुसार क्षेत्र पाठशालाएं आयोजित करने और पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहनों को प्रोत्साहित करेगी।

मृदा तथा कृषि उपजों में अवशिष्टो को न्यूनतम किया जायेगा। एक कीटनाशक अवशिष्ट परीक्षण प्रयोगशाला विशेष रूप से फसलों,फलों और सब्जियों के लिए सृजित की जायेगी। कृषि रसायन विशेष रूप से कीटनाशकों की सिफारिश भारत सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकरण के अनुसार तथा संबंधित लेबल दावे के अनुसार कड़ाई से की जायेगी। उत्तम कृषि पद्धतियों के लिए किसानों को परामर्शी सूचनाएं जारी की जायेंगी। केवल वे रसायन ही प्रोन्नत किये जायेंगे जिनका पर्यावरण पर थोड़े समय प्रभाव रहता है और जिनका अंतिम उपज पर अवशिष्ट प्रभाव नहीं रहता है।

6.9 फार्म यंत्रीकरण :

कृषकों विशेषकर लघु एवं सीमान्त कृषकों को समय पर प्रचालन के लिए विकसित कृषि औजारों तथा मशीनों के उपयोग के लिए और श्रम लागत के साथ ही कड़ी मेहनत विशेष रूप से कृषक महिलाओं के लिए कम करने के लिए प्रेरित किया जायेगा तथा प्रोत्साहन दिये जायेंगे।

विकसित औजारों/मशीनों का उत्पादन एवं परीक्षण केन्द्र राज्य में स्थापित किया जायेगा।

जीरो टिलेज मशीनों, रीपरों, बीज एवं उर्वरक ड्रिल, लेजर लेवलरों, बेलिग मशीनों और अन्य कृषि उपकरणों को प्राथमिकता के आधार पर लोकप्रिय बनाया जायेगा।

फार्म यंत्रीकरण के संबंध में जनशक्ति प्रशिक्षण दक्षता निर्माण के लिए आवश्यक कार्यशालाएं/संस्थाएं स्थापित/प्रोन्नत की जायेंगी।

6.10 विविधिकरण :

फसलों, बागवानी (जिसमें सब्जियां सम्मिलित है) पशुधन, हाता मुर्गीपालन, मत्स्यपालन, द्वितीयक कृषि सम्बन्धी क्रियाकलापों को सम्मिलित कर एकीकृत कृषि प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु कृषि में समग्र विविधिकरण को प्रोन्नत किया जायेंगा।

विशेष रूप से वर्षा निर्भर क्षेत्रों में मिश्रित खेती/अंतरशस्य फसलों को लोकप्रिय बनाने के लिए अधिक बल दिया जायेगा।

अधिक से कम जल की अपेक्षा करने वाली फसलों विशेष रूप से कम मात्रा की उच्च मूल्यों वाली फसलों के विविधिकरण को प्रोत्साहित किया जायेगा। किसानों को बागवानी फसलें, औषधीय और सुगंधित वनस्पतियां, बीज मसाले, चारा फसलें, कृषि वानिकी उगाने

तथा पशुपालन के लिए प्रेरित किया जायेगा। चूंकि राज्य शुष्क बागवानी के लिए तुलनात्मक रूप से लाभदायी है जिसके लिए बेर(गोला,सेब,मुंडिया),अनार(जालोर बीजरहित),बील,आंवला,खजूर,गोंदा,केर,करोन्दा आदि की खेती को प्रोन्नत किया जायेगा। रेशम उद्योग,मधुमक्खी पालन,मशरूम उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जायेगा।

किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए सब्जी कृषि को जोरदार रीति से प्रोन्नत किया जायेगा जिससे अतिरिक्त रोजगार का जनन भी होगा। कीमतों में उतार चढाव से किसानों को पृथक् करने के लिए शीत भंडारण तथा शीत श्रृंखला को प्रोन्नत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त,प्रसंस्करण और मूल्य अभिवर्धन तथा किसानों को बाजार से जोड़ने को भी उच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

मरूस्थल में विशिष्ट वनस्पति तथा जीव हैं। इस रूक्ष जलवायु में पायी जाने वाली औषधीय वनस्पतियों का उनके औषधीय मूल्य के कारण दोहन किया जाना आवश्यक है। इन विनिर्दिष्ट वनस्पतियों का उनके वाणिज्यिक उपयोग साथ ही संरक्षण के लिए विशेषीकरण करने के प्रयास किये जायेंगे। भारत सरकार के जैव विविधता अधिनियम,2002 के निदेशों तथा उपबंधों की साथ ही राज्य जैव विविधता बोर्ड,जिसे जल्द ही क्रियाशील किया जायेगा,के क्रियाकलापों की बद्धता के प्रयास किये जायेंगे।

6.11 विस्तारी सेवाएं :

पब्लिक सेक्टर अर्थात् कृषि और बागवानी विभाग में विस्तार प्रणाली का पुनरुद्धार करने के प्रयास किये जायेंगे। तकनीकी ज्ञान, दक्षता और विशेषज्ञीय सेवाओं को समग्र रूप से पहुंचाना सुनिश्चित करने हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र और कृषि प्रोद्योगिकी प्रबन्ध एजेंसी में आपसी तालमेल की आवश्यकता है। किसानों, महिला कृषकों तथा युवाओं व कृषि का व्यवसाय करने वालों को अभिवर्धित आजीविका तथा बेहतर आय के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। कृषि सम्बन्धी समस्याओं पर किसानों की भागीदारी रीति से निष्कर्ष प्रौद्योगिकी हलों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जायेगा।

खरीफ तथा रबी मौसम–पूर्व प्रशिक्षण शिविरों को, जिन्हें सामान्य रूप से क्रमशः कृषि ज्ञान एवं आदान और कृषि अभियान के नाम से जाना जाता है,संस्थागत किया जायेगा जिनमें कृषि, बागवानी, पशुपालन, साख संस्थाओं के अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर बीजों तथा उर्वरकों जैसे आदान देने के अतिरिक्त विश्वविद्यालय वैज्ञानिकों/कृषि विज्ञान केन्द्र को प्रौद्योगिकी के प्रसार में/किसानों की समस्याओं के हाथो–हाथ समाधान में सक्रिय रूप से अंतर्वलित किया जायेगा। पंचायत स्तर पर कियास्क स्थापना मुख्य क्रियाकलाप होगा।

प्राइवेट सेक्टर को लोक विस्तार प्रणाली की भागीदारी में संपूरकता/पूरकता तथा कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। सेल फोन के उपयोग सहित मीडिया और संचार प्रणाली को नयी विस्तार प्रणाली के अधीन प्रोन्नत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त,आदान व्यापारियों को किसान समुदाय के लिए और प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी के बारे में नया ज्ञान दिया जायेगा। इसके लिए सभी उपजिला स्तरीय कार्यालयों का राज्य मुख्यालय से नेटवर्क

संपूर्ण राज्य के 3 मिलियन किसानों की सहायता करने के लिए सुनिश्चित किया जायेगा और तकनीकी समाचार,परामर्शी सूचनाओं तथा बाजार जानकारी का प्रसार नियमित आधार पर किया जायेगा। कुल मिलाकर संपूर्ण विस्तार प्रणाली को नवीकृत और ऊर्जावान किया जायेगा।

पंचायत स्तर पर किसान शालाओं तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी केन्द्रों,कृषि स्नातकों द्वारा कृषि क्लिनिक और कृषि व्यापार उद्यमों की स्थापना पर मुख्य ध्यान केन्द्रित किया जायेगा। लघु फार्म उत्पादकता और फार्म आय में अभिवृद्धि के लिए स्थान विनिर्दिष्ट समुचित प्रौद्योगिकियों तथा नवाचारों को उन्नत तथा किसानों तक उनका विस्तार किया जायेगा। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी,मोबाइल फोन के माध्यम से तथा कृषि को समर्पित टीवी चैनल के माध्यम से किसानों के ज्ञान सशक्तिकरण का लक्ष्य भी रखा जायेगा जो कृषि प्रसंस्करण,कृषि व्यापार तथा ग्रामीण विकास को सम्मिलित करते हुए अनन्य रूप से कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्रों को कवर करेगा।

6.12 अवसंरचना सुविधाएं और पूंजी निर्माण :

कृषि में पूंजी निर्माण को लोक तथा प्राइवेट दोनों सेक्टरों द्वारा प्रोत्साहित किया जायेगा। विशेष रूप से किसानों के लिए बाजार विकसित करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं सृजित की जायेंगी जिनमें कृषि उपज के सुरक्षित भंडारण के लिए सड़कें,शीत श्रृंखला, भाण्डागार आदि हों। राज्य सब्जी उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस स्थापित करने का जिम्मा लेगा। गिरवी ऋण स्कीम के अधीन गिरवी रखे गये माल पर उधार उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। प्राइवेट सेक्टर को राज्य में कृषि प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा जिसके लिए प्रोत्साहन तथा एकल खिड़की परिदान सुनिश्चित किया जायेगा। जबकि लोक सेक्टर द्वारा विनिधान बढाये जायेंगे, प्राइवेट सेक्टर को भी कृषि तथा ग्रामीण सेक्टर में पूंजी निर्माण के लिए परिसम्पतियां सृजित करने लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

पश्चिमी तथा दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान और ऐसे अन्य क्षेत्रों में जनशक्ति प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास प्रयोजनों के लिए संस्थाएं स्थापित की जायेंगी जो कृषि प्रसंस्करण तथा कृषि उपज के पश्च–कटाई प्रबंध के लिए क्षेत्र के तुलनात्मक लाभ का पूंजीकरण करने के लिए आवश्यक हों।

परंपरागत विश्वविद्यालयों के विपरीत राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में अध्यापन,अनुसंधान तथा विस्तारी कृत्य हैं तथा जो नयी प्रौद्योगिकियों,उनके निर्धारण,परिष्करण तथा प्रसार के विकास के लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों का राज्य सरकार द्वारा अधुनातन अवसंरचना के लिए क्षेत्रीय स्टेशनों सहित पूर्ण संकाय की भर्ती के लिए वित्तीय रूप से पूरा समर्थन किया जायेगा और अपेक्षित स्वायतता दी जायेगी। ग्रामीण विकास निधि,मंडी उपकर या ऐसे ही संसाधनों का कुछ भाग कृषि विश्वविद्यालयों का समर्थन करने

के लिए विनिर्दिष्ट रूप से चिह्नित किया जायेगा जैसा पंजाब और मध्य प्रदेश राज्यों में किया जा रहा है।

विपणन तथा कृषि उपज के मूल्य अभिवर्धन के लिए गांवों में सहकारी संस्थाएं, मजबूत/स्थापित की जायेंगी जिससे लघु जोत वाले किसानों के लिए अधिक आय का सृजन किया जा सके।

किसानों को प्रतिदिन कम से कम 12 घण्टे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किये जायेंगे कि अधिकतम मांग कालावधि के दौरान किसानों को बिजली की अबाधित आपूर्ति बनी रहे। जब कभी भारत सरकार द्वारा डिग्गियों/फार्म तालाबों को सहायता के आधार पर प्रोन्नत किया जाये तो डिग्गियों को विद्युत् संबंध शीघ्रता और प्राथमिकता के आधार पर दिये जायें।

राज्य का ग्वार तथा मसालों फसलों जैसे धनिया,मेथी और जीरा आदि में मुख्य शेयर है तथा निर्यात लाभदायक है। मूल्य अभिवर्धन तथा कृषि उपज के निर्यात के लिए निर्यात व्यापार करने वाली संस्थाओं को प्रोन्नत किया जायेगा।

निर्यातयोग्य अधिशेष,अंतरराष्ट्रीय विपणन केन्द्रों,संभव संपर्कों आदि उपयोगी बाजार जानकारी किसानों को उपलब्ध कराने हेतु सभी मुख्य मण्डियों के लिये संचार नेटवर्क स्थापित किया जायेगा।

किसानों की 3–4 प्रतिशत की कम ब्याज दर पर उधार तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राज्य फसल उधार पुनर्वित्त सुविधाएं स्थापित की जायेंगी।

6.13 अनुसंधान सुदृढ़ीकरण :

अनन्य उन्नति और विकास के लिए कृषि अनुसंधान के महत्व पर विचार करते हुए राज्य राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को अगले पांच वर्ष में उच्चतम प्राथमिकता देगा और अपने संसाधन आबंटन को दुगुना करेगा।

राज्य विनिर्दिष्ट कृषि अनुसंधान प्रणाली को टिकाऊ कृषि के वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पुनःपरीक्षित तथा पुनः परिस्थितियों के अनुकूल किया जायेगा। वर्तमान में कृषि अनुसंधान प्रणाली भारतीय कृषि अनुसधान परिषद् के अखिल भारतीय समन्वय कार्यक्रम तथा बाहरी रूप से वित्तपोषित अन्य स्कीमों पर आश्रित है तथा उसके द्वारा निदिष्ट है। इसलिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को बाहरी एजेंसियों पर पूर्णतया निर्भर रहने की बजाय अनुसंधान,अध्यापन तथा विस्तारी क्रियाकलापों के लिए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त वित्तीय समर्थन दिया जायेगा। प्रौद्योगिकियों का उन्नयन फसलों,पशुधन,बागवानी,मत्स्यपालन,कृषि वानिकी तथा कृषि के कृषि प्रसंस्करण क्षेत्रों और महिला सशक्तीकरण के लिए किया जायेगा।

बीमारी रहित, अल्प अवधि तथा बलाघात सहनीय किस्मों के विकास हेतु कृषि अनुसंधान पर बल दिया जायेगा। जल और उर्वरक उपयोग दक्षता, गैर परंपरागत फलों और सब्जियों

की फसलों के अनुसंधान को प्रोन्नत किया जायेगा। संकर विशेष रूप से सब्जी फसलों,अरहर तथा सरसों की संकर किस्मों के विकास को मजबूत किया जायेगा। किसानोन्मुखी नवाचारों तथा स्वदेशी तकनीकी ज्ञान को राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों,कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा अनुकूलन विचारण केन्द्रों में उच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

वैश्विक जलवायु परिवर्तन वास्तव में ज्वलंत मसला है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने व अनुकूलन से सम्बन्धित मसलों पर ध्यान दिये जाने हेतु अनुसंधान समर्थन दिया जायेंगा। जलवायु परिवर्तन और जैव बलाघात प्रबंध केन्द्र भी स्थापित किया जायेगा।

मूल्य अभिवर्धन, कृषि प्रसंस्करण के समर्थन का लक्ष्य विनिर्दिष्ट रूप से रखा जायेगा। पश्च– कटाई प्रबंध, प्रसंस्करण, मूल्य अभिवर्धन पर राज्य समर्थित केन्द्र सृजित किये जायेंगे। जैव और अजैव बलाघात के अधीन उत्पादकता अभिवृद्धि में जैवप्रौद्योगिकी की अपूर्व भूमिका की दृष्टि से राज्य में जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान को सुदृढ़ किया जायेगा।

कृषि में वैश्वीकरण की दृष्टि से कृषि में दक्षता और लचीलापन दोनों राज्य में अनुसंधान और विकास के मुख्य लक्ष्य होंगे।

दक्ष उन्नयन तथा प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए लोक प्राइवेट सहभागिता को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा अपेक्षित समर्थकारी पर्यावरण प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाया जायेगा। बीज सेक्टर,जल प्रबंध और विस्तारी सेवाओं के परिदान के विकास में जहां कहीं साध्य तथा उचित होगा वहां इस दिशा में लोक प्राइवेट सहभागिता तरीके को प्रोत्साहित किया जायेगा।

6.14 आपदा प्रबंध :

सूखे,बाढ़,कोहरे इत्यादि आपदाओं की बारम्बारता और सघनता हाल ही के वर्षों में बढ़ी हैं। मौसम जानकारी सेवाओं के लिए आवश्यक प्रभावी और विश्वसनीय सूचना और संचार प्रणाली,आकस्मिक योजना और संसाधनों को दुरुस्त किया जायेगा तथा और मजबूत किया जायेगा।

दूर संवेदी तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके मौसम आधारित कृषि परामर्शी सूचनाएं किसानों को प्रतिदिन इंटरनेट/वेबसाइट तथा समर्पित चैनल के माध्यम से दी जायेंगी।

आकस्मिक योजना के उपाय के रूप में सूखा सहनीय तथा लघु अवधि फसलों के लिए बीज बैंक स्थापित किये जायेंगे।

पशु संख्या तथा अनुभव की गयी अकालों की बारम्बारता के आधार पर राज्य में चारा बैंक स्थापित किये जायेंगे।

6.15 विपणन :

कृषि विपणन विभाग कृषकों को उनके कृषि उत्पादों की अधिकतम कीमत उपलब्ध कराने हेतु सभी प्रकार की विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये उत्तरदायी होगा। राज्य द्वारा विपणन हेतु केन्द्रीय मॉडल अधिनियम भी अपनाया जायेंगा।

प्रतिस्पर्धात्मक बाजार कीमतों की सूचना किसानों को उपलब्ध करवायी जायेगी। वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य ऐसी अनेक फसलों के लिए उपलब्ध नहीं करवाया जाता है जो राज्य की विनिर्दिष्ट फसलें हैं। राज्य विनिर्दिष्ट फसलों जैसे मोठ, ग्वार, धनिया, जीरा इत्यादि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा। प्रमाणन एजेंसी तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मानक ब्यूरो राज्य स्तर पर स्थापित किया जायेगा। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से कृषि उपज मंडियों में श्रेणीकरण तथा मानकीकरण सुविधाओं की स्थापना के लिए संवाहक पर्यावरण पैदा किया जायेगा। भांडागार तथा शीत श्रृंखला प्रबंध प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार सुनिश्चित किया जायेगा।

महाराष्ट्र में महाअंगूर या महाआम की तर्ज पर कृषि उत्पादों के विपणन के लिए किसान/उत्पादक स्वसहायता समूहों/समान रूचि समूहों का बनाये जाने पर बल दिया जायेंगा।

सहकारी विपणन प्रणाली को ग्राम सेवा सहकारी समिति,क्रय विक्रय सहकारी समिति,राजफैड इत्यादि के माध्यम से सुदृढ़ किया जायेगा।

विशेष रूप से कृषि उपज और उत्पादों की निर्यात अस्वीकृतियों को न्यूनतम करने के लिए तथा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण,उद्योग समूहों और परिसंघों,राज्य सरकार तथा संबंधित अनुसंधान और विकास संगठनों के प्रयासों को जोड़कर स्वच्छता और पादप स्वच्छता के विनियमों तथा मानकों का सहारा लेने के लिए संस्थागत क्रियाविधि उपलब्ध करवायी जायेगी तथा निर्यात संवर्धन के लिए सुविधाएं पैदा की जायेंगी।

ताजा उपजों के विपणन हेतु सुपर बाजारों की आवश्यकताओं के विकास एवं उन्हें पूरा करने के लिए मुख्य सुपर बाजारों/मेगा बाजारों के साथ युक्तिक गठजोड़ किया जायेंगा। बेरोजगार ग्रामीण जनशक्ति के साथ ही कृषि स्नातकों का उपयोग भी इन प्रयासों में सुनिश्चित किया जायेगा।

फलों, औषधीय पादपों, मसालों, फूलों इत्यादि के मुकाबले बागवानी उत्पादों के निर्यात को प्रोन्नत करने के लिए राज्य बागवानी सहकारी विपणन संघ स्थापित किया जायेगा।

6.16 उधार समर्थन :

ग्रामीण बैंको, सहकारी बैंको एवं ग्राम स्तरीय समितियों के माध्यम से कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों के लिए 4 प्रतिशत ब्याज दर पर आसान उधार की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कुल अग्रिमों के प्रति कृषि का शेयर भी सहकारी बैंकों के समकक्ष किया जाना है। इसके अलावा,विनिधान साख का शेयर लघु अवधि ऋण की तुलना में कम है जिसे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। कृषि से संबंधित आवश्यक अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए जरूरतमंद किसानों को उधार समर्थन सुनिश्चित किया जायेगा। उधार उपलब्धता गिरवी ऋण स्कीम के अधीन गिरवी रखे गये माल पर भी सुनिश्चित की जायेगी। बैंको द्वारा लघु/सीमांत/भूमिहीन किसानों को उधार समर्थन का विस्तार करने के लिए किये गये प्रयासों के संबंध में विशेष प्रबोधन किया जायेगा।

6.17 महिला सशक्तीकरण :

महिला अनुकूल कम मेहनत वाले उपकरणों के विकास तथा उन्नयन,दक्षता उन्नयन के लिए प्रशिक्षण,महिला स्वसहायता समूहों के निर्माण,विकसित कुशलता,उधार अनुबंधन और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उनके जुटाव का लक्ष्य रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त,कृषि शाखा में शिक्षा देने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहन समयबद्ध रीति से प्रोत्साहित तथा प्रोन्नत किये जायेंगे।

6.18 वित्त पोषण के स्रोत :

इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए कृषि सकल घरेलू उत्पादन के 15 प्रतिशत के स्तर तक निधियों के आबंटन का लक्ष्य रखा जायेगा तथा तुरन्त दिया जायेगा। वित्तपोषण के मुख्य स्रोत राज्य सरकार अपने कृषि विभाग के माध्यम से,केन्द्रीय सेक्टर स्कीमों जैसे कृषि और सहकारिता विभाग,भारत सरकार,भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और अन्य होंगे। ग्रामीण विकास योजनाओं से निधियों का भाग और मंडी विक्रयों पर(कम से कम 1 प्रतिशत)उपकर प्रस्तावित युक्तिक कार्य योजनाओं के लिए और विशेष रूप से पृथक् बजट लाइन के सृजन के माध्यम से कृषि विश्वविद्यालयों को सुद्ढ़ करने के लिए किया जायेगा। सरकार इस नीति को लागू करने के लिए कुछ विशेष बड़ी परियोजनाएं विनिर्दिष्ट रूप से आरंभ करेगी। सरकार बाहरी वित्तपोषण एजेंसियों जैसे विश्व बैंक,एशिया विकास बैंक,विश्व पर्यावरण सुविधा इत्यादि से भी कृषि सापेक्ष विकास परियोजनाओं के लिए संपर्क करेगी। सापेक्ष रूप से लघु परिमाण की अन्य स्थान विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए सरकार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक,विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग,जैव–प्रौद्योगिकी विभाग इत्यादि की निधियों के साथ राज्य और केन्द्रीय निधियां आबंटित कर सकेगी तथा अन्य सापेक्ष स्कीमों जैसे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम,राष्ट्रीय बागवानी मिशन,पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि इत्यादि के विकास क्रियाकलापों से भी गठजोड़ कर सकेगी। प्राइवेट सेक्टर को कृषि में पूंजी निर्माण के माध्यम से उनका दीर्घावधि विनिधान बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन तथा समर्थकारी पर्यावरण भी दिया जायेगा।

7. सरकार का भावी दायित्व :

इस नीति के दायित्व वाहक के रूप में निम्नलिखित को पूरा करेंगेः–

कृषि विकास के सभी सापेक्ष संघटकों का संरेखण करना और सभी संबंधितों का पूर्णतम समर्थन प्राप्त करना,

कृषि प्रणाली की उत्पादकता को वृद्धि की ओर ले जाना फिर भी कृषि टिकाऊपन बनाये रखना,

मूल्य श्रृंखला तथा उद्यमितता विकास के माध्यम से फार्म में और फार्म के बाहर अवसरों के साथ द्वितीयक कृषि को प्रोन्नत करना, इस प्रकार ग्रामीण और अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में लाभकारी रोजगार का सृजन करना,

राज्य कृषि को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनाना,

प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना तथा स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध करना।

राजस्थान राज्य में समग्र फार्म समृद्धि लाना।

––––––––––––––

राज्य कृषि नीति हेतु कृषक प्रतिनिधियों/प्रगतिशील कृषकों से प्राप्त सुझाव

1.	संग्रहित जल के ड्रिप सिंचाई पद्धति द्वारा कुशलतम उपयोग हेतु प्राथमिकता से सामान्य दरों पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने के प्रयास किये जायें।
2.	नहरी क्षेत्रों में जल रिसाव को रोकने हेतु पक्की सिंचाई नालियों के निर्माण के कार्य को भी प्रोत्साहित किया जाये।
3.	भूमिगत जल स्त्रोतों के पुर्नभरण हेतु भू–जल विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रभावी पुर्नभरण योजना बनाकर लागू की जाये।
4.	प्राइवेट सेक्टर द्वारा उत्पादित किये जाने वाले बीजों/रोपण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए नियंत्रित मूल्यों पर विक्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
5.	किसानों को उच्च उत्पादन क्षमता वाली किस्मों के बीज समय पर पर्याप्त मात्रा में उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराये जाये।
6.	राज्य में बीज उत्पादन एवं विक्रय नियम बनाये जाये। कृषि आदान के विक्रताओं को एक निश्चित अवधि का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना अनिवार्य किया जाये तथा कृषि शिक्षा प्राप्त अभ्यार्थियों को राज्य की कृषि उपज मंडियो/फल सब्जी मंडियों में कृषि आदान विक्रय हेतु विक्रय लाईसेंस जारी कर दुकान/स्थान रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाये।
7.	जैविक कृषि हेतु पंजीकरण व प्रमाणीकरण प्रकिया को सरलीकृत किया जाये।
8.	रोटावेटर, फसल ग्रेडिंग मशीन, सोलर ड्रायर, लघु प्रसंस्करण सयंत्र आदि पर समुचित सहायता उपलब्ध कराई जाये।
9.	राज्य में सोलर/पवन उर्जा पम्प सेटों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन दिये जाये।
10.	उन्नत कृषि तकनीक विशेषकर संरक्षित खेती यथा ग्रीन हाउस, शेडनेट, लो टनल, माईक्रो सिंचाई पद्धति हेतु पर्याप्त सहायता दी जाकर प्रचारित प्रसारित की जायेगी तथा कृषकों व कृषि कार्यकर्ताओं को उक्त के बारे में प्रभावी रूप से प्रशिक्षित किया जाये।
11.	विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने वाले कृषकों को मरू भूमि में पनपने वाले बहुवर्षीय पेड़/पौधों के रोपण हेतु प्रोत्साहित किया जाये।
12.	फसल प्रबन्धन व संरक्षित कृषि के साथ–साथ पशुपालन, मुर्गीपालन, भेड–बकरीपालन, डेयरी विकास के कार्यक्रम संचालित किये जाये तथा उक्त हेतु किसानों को समुचित प्रशिक्षण दिये जाये।
13.	राज्य की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर कृषि पर्यवेक्षकों तथा सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर सहायक कृषि अधिकारियों की नियुक्ति के प्रयास किये जाये।
14.	प्रसंस्करण केन्द्र, ग्रामीण गोदाम को प्रोत्साहन दिया जायें।
15.	राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यक संसाधनों का प्रावधान कर कृषि विषय का अध्यापन जैविक कृषि, बागवानी, मूल्य संवर्धन, कटाई उपरान्त प्रबन्धन, बीज उत्पादन, पौध संरक्षण, सिंचाई जल का कुशलतम उपयोग, कृषि वानिकी, संरक्षित खेती, मृदा परीक्षण तथा कृषि से सम्बद्ध विषय यथा पशुपालन, डेयरी व्यवसाय, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन का समावेश कर किया जाये।
16.	उर्जा की आपूर्ति हेतु सौर उर्जा व पवन उर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाये।

17. राज्य में चारा उत्पादन, वर्तमान चारागाहों के संरक्षण व विकास पर विशेष ध्यान दिया जाये।
18. राज्य की सभी कृषि उपज मंडियों, फल–सब्जी मंडियों, हाट बाजारों में जैविक कृषि उत्पादों के विक्रय हेतु कृषक समूहों/कृषि सहकारी समितियों/कृषक संगठनों को रियायती दरो पर भूखण्डों/दुकानों/विक्रय परिसरों का आवंटन किया जाये तथा प्रमाणित जैविक कृषि उत्पादों के परिवहन व संग्रहण हेतु प्रोत्साहन दिये जायेंगे।
19. समय पर ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ऋण प्रक्रिया को सरलीकृत किया जाये तथा खाते की समस्त भूमि के बजाय ऋण की राशि के अनुपात में भूमि गिरवी रखे जाने का प्रावधान किया जाये।
20. कृषि क्षेत्र में महिला सहभागिता को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष प्रावधान किये जाये।